अपीलीय अधिकरण,

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 418/26 (CIS NO. 418/26)

चिरंजी लाल व अन्य **बनाम जविप्रा**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील सं0– 418 / 2026

चिरंजीलाल व अन्य बनाम जविप्रा

दिनांक 04.06.2026

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा उपस्थित। जविप्रा द्वारा जवाब पेश किया गया। नकल दिलाई गई।

2. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. जविप्रा द्वारा दिनांक 26.02.2026 को अपीलार्थीगण को जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 72 का नोटिस दिया जाकर यह आक्षेपित किया कि अपीलार्थी द्वारा जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं0 281 में मकानों एवं दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त नोटिस जारी कर अपीलार्थीगण से यह अपेक्षित किया गया कि वह अपने अतिक्रमण को हटा लेवे और यदि कुछ आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 05.03.2026 तक पेश करे ताकि आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

4. अपीलार्थीगण की ओर से धारा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब क्षमा किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों को देखते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है।

5. उक्त नोटिस से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई तथा जविप्रा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन नोटिस के माध्यम से अपीलार्थी को जविप्रा द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थीगण उक्त नोटिस के प्रतिउत्तर में अपना अतिरिक्त जवाब व सुसंगत दस्तावेजों के माध्यम से अपने निर्माण की वैधानिकता को प्रमाणित व साबित कर सकते है। इस प्रक्रम पर जब प्राधिकरण द्वारा विधिक प्रकिया आरंभ करते हुये अपीलार्थीगण को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किया गया है तो इस अधिकरण का हस्तक्षेप गुण–दोषों पर कोई अभिमत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः यह अपील निम्न निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है:–

1. अपीलार्थीगण आदेश दिनॉक से 15 दिन के भीतर नोटिस धारा 72 जविप्रा अधिनियम के नोटिस के सम्बन्ध में अपनी आपत्तिया / अतिरिक्त जवाब व सुसंगत दस्तावेज प्रत्यर्थी के संबंधित जोन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगे।

2. अपीलार्थीगण द्वारा इस विहित समयावधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह उपधारित किया जा सकेगा कि वह इस नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखना नहीं चाहते हैं।
3. अपीलार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी द्वारा विस्तृत कारण अंकित करते हुए अपना निर्णय अविलंब पारित करें तथा उक्त निर्णय से अपीलार्थीगण को अवगत करावें।
4. इस विधिक प्रकिया/कार्यवाही के लम्बित रहने तक अपीलार्थीगण किसी प्रकार का कोई निर्माण/अतिकमण नहीं करेगे, साथ ही कार्यवाही पूर्ण होने तक, प्रत्यर्थी द्वारा भी विवादित निर्माण कार्य को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त, ध्वस्त अथवा सील नहीं किया जावेगा।
5. यदि जविप्रा द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध कोई आदेश/विधिक नोटिस दिया जाता है तो निर्माण हटाने हेतु उसे न्यूनतम सात दिन का अवसर प्रदान किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक **04.06.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।